1. iLrkouk

1.1. रत्ना एवं आर सीरीज (आर एवं आर एस) मध्यम आकार के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र मुम्बई शहर के दक्षिण पश्चिम से 130 किलोमीटर पश्चिमी अपतट क्षेत्र (45 मीटर की औसत जल की गहराई पर) में स्थित हैं। इन क्षेत्रों को नवम्बर 1979 में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओ एन जी सी) द्वारा खोजा एवं आंशिक रूप से विकसित किया गया था। ओ एन जी सी ने 35 अन्वेषणात्मक कुओं व 9 विकास कुओं को खोदा तथा इनमें से एक क्षेत्र यथा आर–12 में एक कुआं एवं उत्पादन प्लेटफॉर्म स्थापित किया। आर–12 क्षेत्र से कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस का वाणिज्यिक उत्पादन ओ एन जी सी द्वारा फरवरी 1983 में आंरभ किया गया था।

1.2. अपस्ट्रीम तेल क्षेत्र में निजी दलों को आमंत्रित करने हेतु 1991 में भारत सरकार (जी ओ आई) ने निर्णय लिया। जी ओ आई ने आर एवं आर एस क्षेत्र के विकास हेतु 1993 में बोलियां आमन्त्रण जारी किया। ओ एन जी सी ने सितम्बर 1994 से इन क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादन को रोक दिया। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सी सी ई ए) ने आर एवं आर एस क्षेत्रों के संदर्भ में सफल बोलीदाताओं के संघ (सी ओ एस बी) को अनुबन्ध प्रदान करना अनुमोदित किया (फरवरी 1996)। तदनुसार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एम ओ पी एन जी) ने सी ओ एस बी को आर एवं आर एस क्षेत्रों को देने हेतु आशय पत्र (एल ओ आई) जारी किया (मार्च 1996)। तत्पश्चात, सी सी ई ए ने छह माह के भीतर उत्पादन सहभागिता अनुबंध (पी एस सी) को अंतिम रूप देने एवं पूर्ण करने हेतु सचिवों के समझौता–वार्ता दल (एन टी एस) द्वारा समझौता वार्ता आयोजन का अनुमोदन किया (मार्च 1999)।

1.3. हालाँकि, सी ओ एस बी के साथ समझौता वार्ता करने हेतु सी सी ई ए अनुमोदन के 16 वर्ष बीत (अगस्त 2015) जाने के बाद भी पी एस सी को अंतिम रूप देने पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया था। एम ओ पी एन जी और विधि एवं न्याय मंत्रालय (एम ओ एल एवं जे) के बीच 2004 तक कुछ तकनीकी खंडों पर विचार विमर्श हुआ। तत्पश्चात एम ओ पी एन जी एवं एन टी एस द्वारा रॉयल्टी एवं उपकर का मुद्दा उठाया गया जिसे विभिन्न मंत्रालयों तथा एम ओ एल एवं जे व भारत के महान्यायवादी (ए जी आई) के मत हेतु अनेक बार भेजा गया। साथ ही, विभिन्न एजेंसियों को इन्हें संदर्भित करने तथा परिणामी विलम्बों से विभिन्न मौकों पर बोली दाताओं के वित्तीय सामर्थ्य का और पुनर्मूल्यांकन हुआ। आर एवं आर एस क्षेत्रों हेतु पी एस सी को हस्ताक्षरित करने हेतु अभी तक (अगस्त 2015) कोई निर्णय नहीं लिया गया है। निजी क्षेत्र की भागीदारी के अधीन क्षेत्रों को और अधिक विकसित करने हेतु भारत सरकार के निर्णय का पालन करते हुए सितम्बर 1994 में आर–12 क्षेत्र से कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस का उत्पादन रोक दिया गया तथा अंतिम निर्णय न लेने के कारण इन क्षेत्रों से 20 वर्षों से अधिक समय तक कोई उत्पादन नहीं हुआ, जैसाकि अनुवर्ती अनुच्छेदों में विस्तार से बताया गया है। इस दौरान जी ओ आई भी रॉयल्टी, उपकर एवं पेट्रोलियम लाभ के रूप में राजस्व प्राप्त नहीं कर सकी। आर एवं आर एस क्षेत्रों की उत्पादन सुविधाओं की भी ओ एन जी सी द्वारा देख–रेख नहीं की जा रही थी जिसके कारण परिहार्य मरम्मत उत्तरदायित्व के साथ सुविधाओं की स्थिति बिगड़ गई।

2. i"BHkfe

2.1 1991 में लाई गई आर्थिक उदारीकरण नीति के अनुसरण में, जी ओ आई ने देश में तेल एवं प्राकृतिक गैस की माँग और उपलब्धता के बीच बढ़ती हुई कमी के संदर्भ में तेल एवं गैस के उत्पादन को बढ़ाने हेतु अपस्ट्रीम तेल क्षेत्र में निवेशपूँजी को लुभाने के लिए और इस क्षेत्र में बड़े निवेशों हेतु नीति प्रस्तावों को उठाया।

2.2 इस उद्देश्य हेतु, जी ओ आई ने (1992) निजी क्षेत्रों को अन्वेषणात्मक ब्लाकों को देने के प्रस्ताव के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर खोजे गए मध्यम एवं लघु आकार के क्षेत्रों के विकास हेतु निजी क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र को देने की दोहरी रणनीति को अपनाया।

2.3 निजी/संयुक्त क्षेत्र को विकास हेतु खोजे गए क्षेत्रों को देने के लिए मुख्य कारण इस प्रकार थे:

(i) कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन में गिरती हुई प्रवृति विकट भुगतान शेष के समय आई तथा जिसने विदेशी विनिमय संसाधन संकट को और बढ़ा दिया और;

(ii) पिछले कुछ वर्षों से देश की विभिन्न घाटियों में राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एन ओ सी) द्वारा खोजी गई गैस एवं तेल क्षेत्र की लघु संरचनाऐं विकास हेतु आर्थिक रूप से लाभकारी सिद्ध नहीं हुई।

2.4 1992 में आविष्कृत क्षेत्रों के लिए निविदा के प्रथम चरण में, पाँच मध्यम और पन्द्रह लघु आकार के क्षेत्र आवंटित किए गए और अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया। जो मध्यम आकार के क्षेत्र आवंटित किए गए वह रावा (के. जी. अपतट), पन्ना और मुक्ता (बॉम्बे अपतट), मध्य एवं दक्षिण ताप्ती (बॉम्बे अपतट) और खरसांग (अरूणाचल प्रदेश) थे। मध्यम आकार के क्षेत्रों में, एन ओ सी का 40 प्रतिशत सहभागिता हित (पी आई) था, जबकि लघु आकार के क्षेत्रों को निजी क्षेत्र द्वारा ही पूर्णतया विकसित किया जाना था।

2.5 1993 में, भारत सरकार ने, भारत में आर एवं आर एस क्षेत्रों सहित आठ मध्यम आकार के क्षेत्रों और तैंतीस लघु आकार के खोजे गए तेल एवं गैस क्षेत्रों के विकास के लिए प्रस्ताव आमन्त्रण अधिसूचनाएँ (एन आई ओ) जारी की। निबन्धन एवं शर्तो के अनुसार, मध्यम आकार के क्षेत्रों के विकास के लिए, एक संयुक्त उपक्रम की स्थापना की जानी थी जो कि बोली दाता कम्पनी द्वारा 51 प्रतिशत अधिकतम सहभागिता अंश के साथ भारत में निगमित एक उपक्रम हो सकता था या ओ एन जी सी/ओ आई एल की 40 प्रतिशत पी आई के साथ एक अनिगमित उपक्रम हो सकता था।

3. jRuk ,oa vkj lhjht {k=

3.1. ओ एन जी सी ने आर एवं आर एस क्षेत्रों की आर–12 संरचना में तेल को नवम्बर 1979 में खोजा तथा फरवरी 1983 में तेल का वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किया जो सितम्बर 1994 तक जारी रहा। आर एवं आर एस क्षेत्रों में 35 अन्वेषणात्मक व 9 विकास कुओं को खोदा गया तथा एक कुआं सह उत्पादन प्लेटफार्म को स्थापित किया गया।

3.2. बोली के समय, इन क्षेत्रों में 22 वर्षो की परियोजना अवधि के लिए संचित तेल उत्पादन हेतु कुल क्षमता 12.33 मिलियन मीट्रिक टन (एम एम टी) थी तथा 1285 मिलियन मीट्रिक मानक क्यूबिक मीटर का अनुमानित संचित कुल गैस उत्पादन भण्डार था। आगे, अन्वेषण एवं उत्पादन गतिविधियों के माध्यम से बोली स्तर पर अनुमानित भंडार का बाद में बढ़ना अपेक्षित था जैसाकि निकटवर्ती समान क्षेत्रों के मामले में हुआ था।

4. jRuk ,o vkj&lhjht {ks=ksa gsrq vuqcU/k dh ckyh yxkuk@inku djuk

4.1. जी ओ आई ने आर एवं आर एस क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए खोजे जा चुके तेल एवं गैस क्षेत्रों के विकास हेतु बोलियाँ[1] आमंत्रित (1993) की। आर एवं आर एस क्षेत्रों के संदर्भ में बोलियाँ बोलीदाताओं के दो संघों से प्राप्त (31 मार्च 1994) हुई।

4.2. हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डी जी एच) एवं ओ एन जी सी के एक संयुक्त दल ने बोलियों की तकनीकी विषयवस्तु का मूल्यांकन कर, बोलीदाताओं से स्पष्टीकरण माँगे तथा उनके साथ प्रत्यक्ष समझौता वार्ता की। तत्पश्चात, बोलीदाताओं ने अंतिम बोलियाँ 08 फरवरी 1995 को प्रस्तुत की। डी जी एच एवं ओ एन जी सी ने एक विस्तृत तकनीकी–आर्थिक विश्लेषण आयोजित किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि निम्न मुद्दों के समाधान के पश्चात आर एवं आर एस क्षेत्र सी ओ एस बी को दे दिए जाएं:

(i) आर एवं आर एस क्षेत्रों की आर–12 संरचना को विद्यमान सुविधाओं सहित निशुल्क सौंप दिया जाए;

(ii) ओ एन जी सी की नावा[2] बेस (आधार) सुविधाओं का निशुल्क उपयोग किया जाएगा।

(iii) बोलीदाता के इस अनुमान की कि तेल/गैस को हीरा तक उपलब्ध कराया जाएगा, की तकनीकी आर्थिक संभाव्यता हेतु ओ एन जी सी द्वारा जाँच किए जाने की आवश्यकता है; और

(iv) वचनबद्ध केपैक्स में कोई वृद्धि न तो लागत वसूली योग्य होगी और न ही ओ एन जी सी द्वारा बाँटा जाएगा।

4.3. 26 दिसम्बर 1995 को आयोजित अपनी बैठक में सचिवों की एक सशक्त समिति (ई सी एस) ने सी ओ एस बी को निम्न शर्तों के अधीन आर एवं आर एस क्षेत्रों को देने की अनुशंसा की:

(i) संघ (कंसोर्टियम) को सूचित किया जाए कि नावा मे ओ एन जी सी सी भंडारण सुविधा के उपयोग हेतु निबंधन एवं शर्तो के लिए ओ एन जी सी के साथ संघ द्वारा प्रत्यक्ष रूप से समझौता वार्ता किए जाने की आवश्यकता है तथा इस पर कोई वचनबद्धता नहीं दी जाएगी।

(ii) सी ओ एस बी को सूचित किया जाए कि उसके साथ अन्य वाणिज्यिक मुद्दों के निपटान की शर्त पर कुछ परिवर्तनों सहित हीरा कॉम्प्लैक्स पर ओ एन जी सी द्वारा गैस को प्राप्त किया जा सकता है। क्षमता प्रतिबन्धों के कारण ओ एन जी सी हीरा कॉम्पलैक्स पर 2001–2002 तक तेल को प्राप्त नहीं करेगा इसलिए एस बी एम[3] के माध्यम से कच्चे तेल को निकाला जाएगा।

(iii) सी ओ एस बी को सूचित किया जाए कि अपतट लदान स्थल पर कच्चे तेल हेतु उपयुक्त भंडारण सुविधा का निर्माण सी ओ एस बी की लागत पर होगा तथा उसे परियोजना लागत के रूप में शामिल किया जा सकता है; और

(iv) सी ओ एस बी को अपनी बोली से 'किसी असामान्य परिस्थिति' वाक्यांश हटाने को कहा जाए ताकि उनके द्वारा प्रस्तुत पूंजी एवं संचालन व्यय आँकड़ों की स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सके।

---

[1] (रत्ना एवं आर–सीरीज को सम्मिलित करते हुए) 8 मध्यम तथा 33 लघु आकार के क्षेत्र

[2] जवाहर लाल नेहरू पत्तन जिसे न्हवा भी कहा जाता है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पत्तन है। यह मुम्बई के दक्षिण में स्थित है।

[3] एकल बॉइ मूरिंग समान को लादने के लिए बाँधा जाने वाला बॉय है, जिसका प्रयोग समान बाँधने के माध्यम तथा गैस अथवा तरल पदार्थों को लादने तथा उतारने वाले टैंकरों को जोड़ने के लिए किया जाता है।

4.4. सी सी ई ए ने (फरवरी 1996) सी ओ एस बी को आर एवं आर एस क्षेत्रों के संदर्भ में अनुबंध को देने हेतु ई सी एस की अनुशंसाओं (26 दिसम्बर 1995) को समय सूची के सहित उपरोक्त शर्तों पर देना अनुमोदित किया कि सी सी ई ए अनुमोदन की प्राप्ति के छह माह के भीतर उत्पादन सहभागिता अनुबंध पर वार्ता की जाएगी तथा अंतिम रूप दिया जाएगा। तदनुसार, एम ओ पी एन जी ने सी ओ एस बी को लैटर ऑफ अवार्ड (12 मार्च 1996) जारी करते हुए आर एवं आर एस क्षेत्रों के विकास हेतु अनुबंध को देने के लिए भारत सरकार के निर्णय को सूचित किया।

4.5. पहले दौर में अनुबंधों को देने से संबंधित विभिन्न जाँच होने, दिल्ली उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिकाओं के रखे होने तथा विगत लागत हेतु उसकी प्रतिपूर्ति की जाने के लिए ओ एन जी सी के निवेदन के कारण मार्च 1996 से फरवरी 1999 तक लघु एवं मध्यम आकार के क्षेत्रों के सफल बोलीदाताओं के साथ अनुबंध समझौता वार्ताओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया।

4.6. सी सी ई ए ने एम ओ पी एन जी के एक प्रस्ताव को निम्न हेतु अनुमोदित (मार्च 1999) किया:

¼d½ एन टी एस जो निम्नलिखित सदस्यों से बना था, द्वारा निम्नलिखित पक्षों के साथ बातचीत के पश्चात् 1996 में दूसरे दौर के अंतर्गत 12 अन्वेषित क्षेत्रों के संबंध में अनुबंध किये जाने हेतु

- सचिव, एम ओ पी एन जी
- वित्त सचिव
- व्यय सचिव
- सचिव, आर्थिक मामले विभाग (डी ई ए)
- सचिव, विधि मामले विभाग (डी एल ए) एवं
- ओ एन जी सी के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

¼[k½ जैसा कि अभी तक है निजी भागीदारी हेतु अन्वेषित क्षेत्रों को प्रस्तावित करने की नीति को जारी रखने के साथ लेकिन राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एन ओ सी) द्वारा बोली को आमंत्रित करना

¼x½ इनमें विचाराधीन मुद्दों से स्वतंत्र होकर वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग के साथ पृथक रूप से विगत लागत प्रतिपूर्ति हेतु एम ओ पी एन जी की रूपात्मकताओं के सृजन हेतु; तथा

¼?k½ प्रदत्त अन्वेषित क्षेत्रों के संदर्भ में उपकर एवं रॉयल्टी उद्ग्रहणों को बोली आमंत्रण के समय प्रचलित स्तर पर इस लचीलेपन के साथ रखने हेतु कि यदि राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो तो उपकर को समायोजित करने के द्वारा बढ़ी हुई रॉयल्टी की व्यवस्था की जा सके।

अपने अनुमोदन में, सी सी ई ए ने यह भी विहित किया कि अनुमोदन के छह माह के भीतर पी एस सी को अंतिम रूप दे दिया जाए।

4.7. पन्ना मुक्ता एवं ताप्ती क्षेत्रों की बोली के प्रथम दौर की लेखापरीक्षा से सम्बन्धित 1996 के प्रतिवेदन सं. 5 में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी) ने (दिसम्बर 1996 में) और बिन्दुओं के अलावा रॉयल्टी तथा उपकर की दरों को निश्चित न किया जाना पाया तथा इन्हें एड–वैलोरम आधार पर रखे जाने की अनुशंसा की। तद्नुसार, एम ओ पी एन जी ने (फरवरी 1999 में) प्रदान किये गये अन्वेषित क्षेत्रों के सम्बन्ध में उपकर तथा रॉयल्टी को बोली आमंत्रित करते समय विद्यमान स्तर पर रखे जाने का प्रस्ताव सी सी ई ए को भेजा। सी सी ई ए ने मार्च 1999 में 11 लघु आकार के खण्डों तथा एक मध्यम आकार के खण्ड

अर्थात् रत्ना एवं आर सीरीज के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। इस प्रकार सी सी ई ए ने 1999 में लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को न मानने का निर्णय लिया।

4.8. सी सी ई ए के निर्णय के बाद, नौ लघु आकार के क्षेत्रों के लिए पी एस सी को फरवरी 2001 में हस्ताक्षरित किया गया। शेष दोनों लघु आकार के क्षेत्रों के लिए पी एस सी को फरवरी 2004 में हस्ताक्षरित किया गय। इन ग्यारह क्षेत्रों के सम्बन्ध में रॉयल्टी एवं उपकर को बोली आमंत्रित करते समय विद्यमान स्तर पर निर्धारित किया गया। जबकि, आर एवं आर एस क्षेत्रों के लिए पी एस सी पर अभी तक (अगस्त 2015) अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।

एम ओ पी एन जी द्वारा पी एस सी को अंतिम रूप देने तथा हस्ताक्षरित करने हेतु घटनाओं के क्रम को अगले पृष्ठ पर दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है:

foxr 22 o"kkZ esa ?kVukvksa dk Øe

1993 — जी ओ आई ने प्रस्ताव आमंत्रण सूचना जारी की।

1994 — आर एवं आर एस क्षेत्र में उत्पादन रोक दिया

1996 — सी ओ एस बी को अनुबन्ध देने हेतु सी सी ई ए का अनुमोदन।

एम ओ पी एन जी ने सी ओ एस बी को अनुबन्ध देने हेतु पत्र जारी किया।

1999 — सी सी ई ए ने छह माह के भीतर पी एस सी को अंतिम रूप देने तथा समापन हेतु एन टी एस द्वारा वार्ता को अनुमोदित किया।

2001 — प्रारूप पी एस सी को सभी दलों द्वारा आद्याक्षरित किया गया।

2005 — भारत के महान्यायवादी ने भारत सरकार को प्रारूप पी एस सी में निर्धारित रॉयल्टी एवं उपकर के आधार पर पी एस सी को हस्ताक्षरित करने में आगे बढ़ने की सलाह दी। एम ओ एल एवं जे इस मत से सहमत था।

2006 — एन टी एस ने निर्णय लिया कि अवार्ड पत्र जारी होने के साथ अनुबन्ध समाप्त हो जाएगा

2008 — अनुबन्ध करने के लिए एनटीएस ने स्पष्ट अनुशंसाएँ दी। एमआपीएनजी, एनटीएस से सहमत था तथा उसने सीसीईए के अनुमोदन के लिए नोट को भेजा।

सीसीईए ने कमियों सुधार करने के लिए नोट को वापस कर दिया। एमओपीएनजी ने संशोधित नोट को अनुमोदित कर दिया लेकिन इस मामले को नए सचिव के पास भेज दिया।

2009 — एम ओ पी एन जी ने अपना निर्णय बदलते हुए कहा कि एन टी एस एक बार फिर मामले पर विचार करे।

एम ओ एल एवं जे ने सी ओ एस बी के साथ अनुबन्ध करने के अपने पिछले सुझाव को दोहराया।

2010 — डी जी एच ने अपने उपलब्ध विकल्पों के विश्लेषण को प्रस्तुत किया।

एम ओ एल एवं जे ने सुझाव दिया कि वर्तमान विवाद पर निर्णय के लिए एम ओ पी एन जी उचित कार्यवाही करने के लिए बाध्य है।

2011 — एम ओ पी एन जी ने सी वी सी से सलाह माँगी कि क्या अनुशंसा हेतु एन टी एस द्वारा मामले पर आगे विचार किया जा सकता है।

सी वी सी ने सलाह दी कि उपयुक्त निर्णय लेना भारत सरकार के सशक्त प्राधिकारी के हाथ में है।

2012 — एम ओ पी एन जी ने भारत के महान्यायवादी के मत हेतु मामले को एम ओ एल एवं जे भेज दिया।

महान्यायवादी ने सलाह दी कि इसे उचित एवं न्यायसंगत आधार पर पूर्ण किया जाना चाहिए।

2013 — एन टी एस की बैठक आयोजित हुई तथा एन टी एस द्वारा एम ओ पी एन जी से कुछ स्पष्टीकरण माँगे गए।

2014 — पी एस सी को अन्तिम रूप दिये जाने से सम्बन्धित सी सी ई ए नोट को एम ओ पी एन जी द्वारा भेजा गया।

सरकार बदल जाने के कारण सी सी ई ए द्वारा नोट पर विचार नहीं किया गया।

2015 — सरकार द्वारा अगस्त 2015 तक कोई निर्णय नहीं लिया जाना।

5. lfpok d le>krk okrk ny }kjk fopkj foe'k

5.1 सी सी ई ए ने एन टी एस द्वारा पक्षों से बातचीत करने के प्रस्ताव को (मार्च 1999 में) स्वीकृति प्रदान की। लेखापरीक्षा ने पाया कि एन टी एस ने नवम्बर 1999 से जून 2013 के बीच 20 बैठकें आयोजित की। इसके अतिरिक्त मई 2010 से जुलाई 2015 की अवधि के दौरान केवल 2 बैठकें आयोजित की गईं और दोनों ही अवसरों पर यह निर्णय लिया गया कि मामले पर अन्तिम निर्णय लेने के लिए एक और बैठक आयोजित की जाएगी।

5.2 एन टी एस बातचीत को पूर्ण तथा पी एस सी को हस्ताक्षरित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करता रहा। नवम्बर 1999 में, एन टी एस ने निर्णय किया कि समझौता वार्ता की सम्पूर्ण प्रक्रिया को 15 फरवरी 2000 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। मार्च, 2000 की बैठक में एन टी एस ने निर्णय लिया कि समझौता वार्ता 30 अप्रैल, 2000 तक पूर्ण होनी चाहिए तथा 7 सितम्बर 2000 की बैठक में एन टी एस द्वारा समझौता वार्ता की प्रक्रिया को 18 सितम्बर 2000 तक पूर्ण करने का निर्णय लिया गया। हालांकि एन टी एस ने समझौता वार्ता को पूर्ण करने के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का अनुपालन नहीं किया जिनका कारण आने वाले पैरों में वर्णित है।

5.3 एम ओ पी एन जी ने उत्तर दिया (अगस्त 2015) कि एन टी एस ने 11 लघु आकार के क्षेत्रों के सन्दर्भ में पी एस सी को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया तथा कई जटिल व्यावसायिक, तकनीकी, आर्थिक एवं विधिक पहलुओं की जाँच करते हुए समझौता वार्ता से संबंधित कई बैठकें आयोजित की जिससे कि इन मुद्दों पर सर्वसम्मति बनायी जा सके।

5.4 उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि पी एस सी को अन्तिम रूप देने के लिए सी सी ई ए ने 6 माह का समय निर्धारित किया था तथा रत्ना एवं आर सीरीज क्षेत्रों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय सी सी ई ए स्वीकृति के 16 वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं लिया जा सका।

6. rduhdh&fof/kd ekeyk ij fopkj foe'k

6.1 20 फरवरी 2001 को सम्पन्न हुई एन टी एस की बैठक में विचार–विमर्श के दौरान सी ओ एस बी की वित्तीय क्षमता का विश्लेषण किए जाने के बाद एन टी एस ने आर एवं आर एस क्षेत्रों के लिए पी एस सी को स्वीकृत एवं आद्यक्षरित करने हेतु मंजूरी प्रदान की एवं तद्नुसार अप्रैल 2001 में सभी पक्षों द्वारा ड्राफ्ट पी एस सी पर हस्ताक्षर किये गये।

6.2 एम ओ पी एन जी की फाइलों के निरीक्षण ने दर्शाया कि ड्राफ्ट पी एस सी को जाँच के लिए एम ओ एल एवं जे के पास प्रेषित करते समय अवलोकन किया किः

(क) सी सी ई ए ने एन टी एस द्वारा विचार विमर्श के बाद पी एस सी को अन्तिम रूप दिये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी थी, तथा

(ख) एन टी एस ने अनुमोदित किया कि पी एस सी के लिए विचार विमर्श तथा उसे अन्तिम रूप दिए जाने का आधार मॉडल पी एस सी होगा,

(ग) सी ओ एस बी ने भी एन टी एस द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों की स्वीकृति की पुष्टि की;

(घ) एन टी एस ने परिणामस्वरूप होने वाले संशोधनों को भी अनुमोदित किया था; तथा

(ड़) आर एवं आर एस क्षेत्रों के पी एस सी के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने हेतु विचार करने के लिए यदि एम ओ पी एन जी कोई कदम उठाता है तो इस पर सी वी सी को कोई आपत्ति नहीं थी।

6.3 लेखापरीक्षा ने पाया कि एम ओ एल एवं जे ने एम ओ पी एन जी को सूचित किया (29 जनवरी 2002) कि प्रारूप पी एस सी औपचारिक रूप में कानूनी दृष्टिकोण से ठीक प्रतीत होता है बशर्ते (i) पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम 1959 (पी एन जी नियम) के अन्तर्गत प्रयोग की गई शक्तियों के द्वारा 20 साल की जगह 25 साल के लिए पेट्रोलियम खनन पट्टे (एम एल) को देने तथा 250 वर्ग किलोमीटर (व.कि.मी.) से अधिक अनुबंध क्षेत्र प्रदान करना, (ii) "सुपुदर्गी स्थल पर सारी लागतों व जोखिमों" का वहन करने के लिए जिम्मेदार दल के विषय में पी एस सी में स्पष्ट रूप से दर्शाना (iii) एम ओ एल एवं जे द्वारा बताए गए कुछ अन्य बदलावों की पुष्टि करना। एम ओ पी एन जी ने एम ओ एल एवं जे की सलाह की समीक्षा करने के पश्चात मामले को सुपुदर्गी स्थल तथा एम एल से सम्बंधित मुद्दों पर विचार व सलाह के लिए (18 फरवरी 2002) पुनः एम ओ एल एवं जे को भेजा। एम ओ एल एवं जे ने प्रतिक्रिया देते हुए (22 अप्रैल 2002) कहा कि उन्हें एम एल को 25 वर्षों के लिए प्रदान करने के लिए कोई कानूनी आपत्ति नहीं थी तथा अपने निर्णय को दोहराया कि भविष्य में झगड़े को रोकने के लिए पी एस सी में आवश्यक संशोधन किया जाये तथा सुपुदर्गी स्थल पर लागतों व जोखिमों का वहन करने के लिए जिम्मेदार दल का नाम स्पष्ट किया जाये।

6.4 लेखापरीक्षा ने पाया कि इसके पश्चात एम ओ पी एन जी में तथा एम ओ एल एवं जे/सी ओ एस बी (मई 2002 से सितम्बर 2004 के बीच) के साथ भी पी एस सी को अन्तिम रूप देने के लिए चर्चाओं का दौर चला जिसमें सी ओ एस बी सहयोगी द्वारा हस्ताक्षरित ऋण अनुबंध, सी ओ एस बी की वित्तीय क्षमता, कच्चे तेल पर लगने वाले उपकर तथा रॉयल्टी की दर की उपयुक्तता तथा ओ एन जी सी को रख–रखाव की कीमत की प्रतिपूर्ति से सम्बंधित मुददे उठाए गए। तीनों मंत्रालय (एम ओ पी एन जी, एम ओ एल एवं जे और एम ओ एफ) इन विषयों पर विचार करते रहे। 15 अप्रैल 2005 को हुई इसकी बैठक में एन टी एस ने एम ओ पी एन जी को इन मामलों पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अधिकार देने के साथ सी ओ एस बी से उपकर व रॉयल्टी की उपयुक्तता पर पुष्टिकरण मांगने के लिए कहा।

7. jk;YVh rFkk midj d ekey

7.1 सी सी ई ए (9 मार्च 1999) ने रॉयल्टी व उपकर के आरोपण के लिए बोली के समय प्रचलित दरों की स्थिरता को अनुमोदित किया था ना कि पी एस सी के कार्यान्वयन के समय की दरों को। यह अन्य 11 क्षेत्रों (आर एवं आर एस क्षेत्रों के अलावा) में लागू किया गया जिनके सम्बंध में जी ओ आई ने 1996 में क्षेत्रों के विकास के लिए अनुबंध प्रदान करने का निर्णय लिया। तदनुसार इन क्षेत्रों के लिए फरवरी 2001

से फरवरी 2004 के बीच पी एस सी हस्ताक्षरित किया गया। बोली लगाये जाने के समय इन दरों को निर्धारित किया गया था।

7.2 सभी दलों द्वारा (सफल बोली लगाने वाले सहित) आद्याक्षरित प्रारूप पी एस सी के अनुसार अप्रैल 2001 में कच्चे तेल के रॉयल्टी व उपकर क्रमशः ₹528 प्रति मीट्रिक टन तथा ₹900 प्रति मीट्रिक टन थे। प्राकृतिक गैस के सम्बंध में रॉयल्टी का आरोपण कूप स्त्रोत गैस की कीमत के 10 प्रतिशत की दर पर रखा जाना था। ये दरें बोलियों प्राप्त होने के समय निर्धारित दरें थीं।

7.3 अप्रैल 2005 में विचार–विमर्श के दौरान एन टी एस ने पाया कि एक लम्बा समय बीत चुका था तथा तेल बाजार की कीमतों में महत्वपूर्ण बदलाव आ चुका था। एन टी एस ने सलाह दी कि सी ओ एस बी को वैधानिक देयताओं के भुगतान की पुष्टि 1995 में प्रचलित दरों के बजाय वर्तमान स्तर पर करने के लिए कहा जाए। उसने अनुशंसा की कि उपरोक्त के बाद पी एस सी में परिणामिक परिवर्तनों केा एम ओ एल एवं जे द्वारा जाँच के पश्चात् आद्याक्षरित किया जाएगा।

7.4 यद्यपि सी ओ एस बी रॉयल्टी व उपकर की दरों में बदलाव के लिए सहमत नहीं हुई और पुरानी सहमत दरो पर ही स्थिर रही। ओ एन जी सी वर्तमान दरों पर 40 प्रतिशत पी आई से संबन्धित अपने भाग पर पहले सहमत नहीं था (2 मई 2005) परन्तु बाद में रॉयल्टी तथा उपकर का भुगतान वर्तमान दरों पर करने के लिए सहमत (4 मई 2005) हो गया।

7.5 जून 2005 में ए जी आई ने सलाह दी कि "सरकार ने वर्ष 2001 एवं 2004 में 11 अन्य क्षेत्रों के सम्बंध में जो किया 'सरकार उससे उलट स्थिति में नहीं आ सकती है। यह कदम सही, उचित एवं तर्कसंगत नहीं होगा। सरकार 12 में से 11 क्षेत्रों में रॉयल्टी तथा उपकर को कम दरों पर निर्धारित करने के लिए सहमत थी लेकिन केवल 1 क्षेत्र के लिए अलग दरें निर्धारित करने का कोई आधार नहीं था।" ए जी आई ने आगे कहा कि "किसी भी अवस्था में यह भेदभाव का मामला तथा संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। इसके अतिरिक्त इस बात का कोई उचित कारण नहीं दिख रहा कि क्यों ओ एन जी सी रॉयल्टी तथा उपकर में वृद्धि चाहता है जबकि कम उपकर/रॉयल्टी का वह स्वयं एक लाभार्थी होगा।' इसके अतिरिक्त एम ओ एल एवं जे के प्रतिनिधि ने (19 अप्रैल 2006 को) कहा कि 'पी एस सी के माध्यम से उपकर एवं रॉयल्टी की दरों जैसे किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर समझौता वार्ता करने के द्वारा एन टी एस अपने अधिकार से बाहर चला जाएगा।"

7.6 इस प्रकार, ए जी आई द्वारा सरकार को (जून 2005 में) सुझाव दिया गया था कि वह सफल बोलीदाताओं के साथ ड्राफ्ट पी एस सी में निर्धारित की गयी रॉयल्टी एवं उपकर के आधार पर आर एवं आर एस क्षेत्रों के लिए पी एस सी को हस्ताक्षरित करने के लिए आगे बढ़े। एम ओ एफ के प्रतिनिधि एन टी एस बैठक (19 अप्रैल 2006) में कच्चे तेल पर उपकर तथा रॉयल्टी को पुरानी दरों पर रखने के लिए सैद्धान्तिक रूप से सहमत हो गये। एन टी एस ने निर्णय (19 अप्रैल 2006 को) किया कि ए जी आई तथा एम ओ एल एवं जे की कानूनी सलाह के आधार पर अनुबन्ध मार्च 1996 में जारी किए गए आदेश पत्र के साथ ही पूर्ण माना जाएगा तथा वैधानिक देयताओं को पुराने स्तर पर ही रखा जाए, ओ एन जी सी को ड्राफ्ट पी एस सी में संशोधन करने एवं सी ओ एस बी भागीदारों के साथ दूसरे समझौतों/अनुबन्धों को

अन्तिम रूप देने के लिए 45 दिनों का समय दिया जाए। हालाँकि एम ओ पी एन जी ने (24 अगस्त 2006 को) निर्णय किया कि वित्त मंत्री की स्पष्ट सहमति ली जाए।

7.7 एम ओ एफ ने (9 अगस्त 2007 को) सूचित किया कि एम ओ पी एन जी, पी एस सी के अन्तर्गत सी ओ एस बी को प्रदान किए गए आर एवं आर एस क्षेत्रों में उत्पादित कच्चे तेल पर अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार उपकर एवं रॉयल्टी की दरों को निर्धारित करते हुए एम ओ एल एवं जे से परामर्श, करके आवश्यक अधिसूचना को जारी करने पर विचार कर सकती है।

7.8 एन टी एस (20 मार्च 2008) जिसके एक सदस्य सचिव (विधि) भी थे, ने पुरानी लागत वसूली सीमा (सी आर एल)[4] सीमा के साथ उपकर एवं रॉयल्टी की पुरानी दरों को बनाए रखने के अपने पिछले निर्णय को दोहराया।

7.9 एम ओ पी एन जी ने मामले की पुनः जाँच की तथा (21 जुलाई 2009 को) निर्णय किया कि उपलब्ध सभी विकल्पों का विश्लेषण करने के लिए एन टी एस को इस मामले पर पुनः विचार करना चाहिए। एम ओ पी एन जी ने पाया कि एन टी एस ने उपलब्ध विकल्पों का विस्तृत विश्लेषण नहीं किया तथा उसने केवल अपनी पिछली अनुशंसा को दोहराया। एम ओ पी एन जी के इस अवलोकन को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि एन टी एस की अध्यक्षता स्वयं सचिव (एम ओ पी एन जी) द्वारा की गयी थी तथा इसमें जी ओ आई के अन्य सचिव स्तर के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व था।

7.10 इस दौरान एम ओ पी एन जी द्वारा माँगे गये परामर्श के उत्तर में, एम ओ एल एवं जे ने (17 दिसम्बर 2009 को) कहा कि आर एवं आर एस क्षेत्रों के विकास के लिए अनुबन्ध 12 मार्च 1996 को प्रदान कर दिया गया तथा उसे अन्तिम रूप भी दे दिया गया था। इस बात पर भी बल दिया गया कि जी ओ आई के पास विचार करने योग्य एकमात्र विकल्प वह है जिसमें पुरानी सी आर एल के साथ पुरानी दरों पर उपकर एवं रॉयल्टी को उल्लेखित करना वर्णित है।

7.11 एन टी एस ने (7 अप्रैल 2010 को) डी डी एच को खोजे गए क्षेत्र की उत्पादन रूपरेखा के साथ उपकर एवं रॉयल्टी की पुरानी एवं नवीन दरों को लगाते हुए जी ओ आई को मिलने वाले राजस्वों से सम्बन्धित एक तुलनात्मक तथा समेकित विवरणिका बनाने को कहा जिससे कि जी ओ आई का सटीक भाग ज्ञात हो। डी जी एच ने (दिसम्बर 2010 में) विभिन्न परिस्थितियों में जी ओ ई के भाग का विश्लेषण अपने प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया। जबकि डी जी एच ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि जी ओ आई के लाभांश का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि यह बहुत से परिवर्तनात्मक कारकों पर निर्भर करता है तथा कोई भी अनुमान मात्र सांकेतिक होंगे।

7.12 नवम्बर 2011 में, वित्त सचिव जो कि एन टी एस के एक सदस्य भी थे, द्वारा यह सलाह दी गयी कि कई वर्ष पहले लगायी गयी बोली के मानदण्ड आज की परिस्थिति से काफी भिन्न हैं तथा काफी लम्बे समय से पी एस सी नहीं किया गया है और यह जानने के लिए कि क्या जी ओ आई, सी ओ एस बी के साथ उत्पादन सहभागिता अनुबन्ध करने को बाध्य है? उचित यह होगा कि महाधिवक्ता की राय फिर से ले

---

[4] लागत वसूली सीमा कंट्रेक्टर द्वारा पेट्रोलियम की उत्पादन रूप–रेखा को प्राप्त करने के लिए विद्यमान खाजों से प्राप्त पेट्रोलियम का उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण तथा परिवहन के लिए आवश्यक सुविधाओं के निर्माण तथा/अथवा स्थापना से संबंधित व्यय को इंगित करता है सी ओ एस बी के लिए सी आर एल यू एस डी 298.17 मिलियन थी।

ली जाये। उत्तर में, एम ओ पी एन जी ने दिनांक 30.12.2009 के एम ओ एल एवं जे के मत कि ''हम पिछले महाधिवक्ता के मत की पुष्टि करते हुए पूर्व में लिए गये अपने निर्णय को दोहराते हैं। इसे वर्तमान महाधिवक्ता को पुनः भेजने की आवश्यकता नहीं है,'' को सन्दर्भित किया तथा मामले में आगे की कार्यवाही हेतु एन टी एस से निवेदन किया।

7.13 फरवरी 2012 में, वित्त सचिव ने पुनः अपने प्रश्न को दोहराया तथा सुझाव दिया कि एम ओ पी एन जी को इस मामले को नये सिरे से देखना चाहिये और कहा कि एम ओ एल एवं जे के माध्यम से भारत के महाधिवक्ता की राय फिर से ली जाये। एम ओ पी एन जी ने ए जी आई की राय के लिये इस मामले को पुनः एम ओ एल एवं जे के पास भेजा। ए जी आई ने अक्तूबर 2012 में अपने सुझाव में कहा कि यह मामला काफी लम्बे समय से विचाराधीन है तथा इसे उचित एवं तर्कसंगत आधार पर निपटाया जाना चाहिये जैसा कि सुझाव दिया गया है।

7.14 अन्ततः, पी एस सी के औपचारिक कार्यान्वयन में गति लाने के लिए वर्तमान लागत पर आधारित अद्यतन लागत वसूली सीमा (सी आर एल) के साथ उपकर एवं रॉयल्टी की वर्तमान दरों पर भुगतान को स्वीकार करने के लिए सी ओ एस बी (अगस्त 2012 में) सहमत हो गया। तथापि, सी ओ एस बी ने स्पष्ट किया कि पी एस सी की अवधि के दौरान दरें स्थिर रहेंगी।

7.15 एम ओ पी एन जी ने मामले से जुड़े तथ्यों को स्वीकारते हुए, (अगस्त 2015 में) अपने उत्तर में माना कि रॉयल्टी एवं उपकर के इस मामले के कारण निश्चित रूप से आर एवं आर एस क्षेत्रों के लिए पी एस सी को अन्तिम रूप देने में विलम्ब हुआ तथा यह मामला एक प्रमुख कारण रहा है जिसे हल करने में सभी दावेदारों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है।

7.16 लेखापरीक्षा ने पाया कि रॉयल्टी तथा उपकर के मामले में ए जी आई तथा एम ओ एल एवं जे के मत स्पष्ट थे। तथापि इस मामले को कई बार उठाया गया एवं विभिन्न मंत्रालयों को भेजा गया तथा इसे एम ओ एल एवं जे एवं ए जी आई के पास उनकी राय के लिए भी भेजा गया और उन्होंने पूर्व में दिये गये अपने मत को दोहराया। इस कारण परिहार्य विलम्ब हुआ।

8. ckyh yxkus okys dh foÙkh; {kerk dk iqueZwY;kadu

8.1 लेखापरीक्षा ने पाया कि नैल्प–पूर्व स्थिति के अन्तर्गत वित्तीय क्षमता के मूल्यांकन के लिए प्रस्ताव आमंत्रण सूचना (एन आई ओ) में कोई मानदण्ड इंगित नहीं थे। हालॉकि दोनों ही बोली लगाने वालों की बोली का मूल्यांकन डी जी एच तथा ओ एन जी सी द्वारा किया गया तथा इस मूल्यांकन के आधार पर सचिवों की सशक्त समिति (ई सी एस) द्वारा अनुबन्ध (दिसम्बर 1995 में) सी ओ एस बी को दिये जाने की अनुशंसा की गयी जिसे सी सी ई ए द्वारा स्वीकृत किया जाना था। सी सी ई ए ने (फरवरी 1996 में) अनुशंसाओं को मंजूरी दे दी तथा आर एवं आर एस क्षेत्रों के लिए अनुबन्ध को सी ओ एस बी को प्रदान करने के लिए आंवटन पत्र को 12 मार्च 1996 को जारी किया गया।

8.2 तथापि, पी एस सी को अन्तिम रूप देने के लिए सी सी ई ए द्वारा एन टी एस को (मार्च 1999 में) कार्य प्रदान किये जाने के बाद, एन टी एस ने (मार्च 2000 में) सी ओ एस बी की अद्यतन वित्तीय क्षमता को जाँचने का निश्चय किया। तद्नुसार, डी जी एच ने (मई 2000 में) वित्तीय क्षमता का आकलन किया

तथा (सितम्बर 2000 में) एन टी एस को सूचित किया कि सी ओ एस बी का शुद्ध मूल्य लाभ धनात्मक है एवं इसकी वित्तीय स्थिति भी अच्छी है। तद्नुसार, एन टी एस ने (फरवरी 2001 में) पी एस सी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय किया। तथापि, तकनीकी–विधिक मुद्दों के कारण अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया जैसा कि उपरोक्त पैरा 6 में चर्चा की गयी है।

8.3 बाद में, अगस्त 2004 में, एन टी एस ने डी जी एच को पुनः सी ओ एस बी की वित्तीय क्षमता का मूल्यांकन करने को कहा। (अक्तूबर 2004 में) डी जी एच तथा एम ओ एफ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर, एन टी एस ने निष्कर्ष निकाला कि सी ओ एस बी अपने दायित्वों की पूर्ति करने में आर्थिक रूप से सक्षम है जैसा कि पी.एस.सी. में प्रावधान किया गया था। तथापि, पी एस सी को अन्तिम रूप देने से पहले, एन टी एस ने (अप्रैल 2005 में) उपकर एवं रॉयल्टी की दरों की व्यावहारिकता के मामले को उठाया तथा अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया जैसा कि उपरोक्त पैरा 7 तक में चर्चा की गयी है।

8.4 (अक्तूबर 2011 की) एन टी एस बैठक में बोली लगाने वाले सफल भागीदार के ऋणात्मक शुद्ध मूल्य का मामला पुनः उठाया गया तथा सी ओ एस बी के वर्तमान शुद्ध मूल्य का पता लगाने का निर्णय लिया गया। एन टी एस के एक सदस्य द्वारा ये मामला एम ओ पी एन जी को पत्रों के माध्यम से पुनः दो बार (नवम्बर 2011 तथा फरवरी 2012 में) उठाया गया। इस दौरान, जनवरी 2012 में सी ओ एस बी भागीदारों ने अपने सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी किये गये शुद्ध मूल्य प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत किया जिनमें पूर्व आकलनों से अधिक तथा धनात्मक शुद्ध मूल्य इंगित था।

8.5 एम ओ पी एन जी ने (अगस्त 2015 में) अपने उत्तर में कहा कि एन टी एस ने (मार्च 2000 में) 12 क्षेत्रों के सम्बन्ध में सभी सफल कम्पनियों की अद्यतन वित्तीय स्थिति को जाँचने का निर्णय लिया एवं एन टी एस द्वारा वित्तीय क्षमता के मामले को आई सी आई सी आई लिमिटेड से परामर्श लेने के पश्चात् स्वीकृत किया गया था। सी ओ एस बी की वित्तीय क्षमता के पुनर्मूल्यांकन का मामला पुनः केवल अक्तूबर 2011 की एन टी एस बैठक में उठाया गया। इसने आगे सी ओ एस बी की वित्तीय क्षमता का पुनर्मूल्याकंन किये जाने के कारणों को भी बताया।

8.6 वित्तीय क्षमताओं का पुनर्मूल्यांकन कराने के एम ओ पी एन जी के तर्क को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि इस प्रयास को वर्ष 2000, 2004 तथा 2011 में किया गया था। विभिन्न मामलों में अन्तिम निर्णय लेने में देरी तथा पहले से ही निपटाये जा चुके मामलों (पैरा 6 एवं 7 को सन्दर्भ में लायें) को उठाने के कारण सी ओ एस बी की वित्तीय क्षमता का बार–बार मूल्यांकन करने की आवश्यकता पड़ी जिससे और देरी हुई, जो परिहार्य थी।

9. lh lh bl , LohÑfr dh izfØ;k

9.1 सी सी ई ए ने मार्च 1999 में बोली आमंत्रित करते समय लागू उप–कर तथा रॉयल्टी के आधार पर अनुबन्ध को स्वीकृति प्रदान की तथा एन टी एस को सी सी ई ए द्वारा स्वीकृति दिये जाने के छः माह के भीतर बातचीत पूरी करने तथा पी एस सी को अन्तिम रूप देने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, समान नियम एवं शर्तों के अन्तर्गत एक साथ प्रस्तावित 12 क्षेत्रों के समूह में से शेष 11 क्षेत्रों के लिए पी एस सी को 2004 के अन्त तक अन्तिम रूप दे दिया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया। जैसाकि पैरा 7 में दर्शाया गया है, वर्तमान दरों पर उपकर एवं रॉयल्टी को लागू करने की व्यावहारिकता का मामला एन टी

एस द्वारा अप्रैल 2005 में उठाया गया था। ए जी आई का मत एन टी एस द्वारा लिये गये निर्णय के विरूद्ध था तथा ए जी आई द्वारा पी एस सी को अन्तिम रूप देने की सलाह दी गयी थी। एन टी एस ने भी (अप्रैल 2006) सी ओ एस बी के साथ पी एस सी किये जाने की अनुशंसा की। तथापि, एम ओ पी एन जी ने पुनः (4 अक्तूबर 2007) निर्णय किया कि चूँकि सी सी ई ए के अन्तिम निर्देश/स्वीकृति तथा खोजे गये क्षेत्र की नीति की घोषणा को काफी समय बीत चुका है, इस मामले को महत्ता के आधार पर उचित निर्णय के लिए सी सी ई ए के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तद्नुसार एम ओ पी एन जी ने सी सी ई ए को यह निर्णय लेने के लिए नोट प्रस्तुत की (जनवरी 2008) कि क्या एनटी एस की अनुशंसा (अप्रैल 2006) को स्वीकार किया जा सकता है।

9.2 लेखापरीक्षा ने पाया कि कैबिनेट सचिवालय ने एन टी एस की स्पष्ट अनुशंसाओं को प्राप्त करने के लिये नोट को (21 फरवरी 2008 को) एम ओ पी एन जी को लौटा दिया था, विशेष तौर पर निम्नलिखित के प्रकाश में:–

क) यह प्रतीत हो रहा था कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, कानूनी स्थिति की अलग–अलग व्याख्या की जा सकती थी और इसलिए एन टी एस की स्पष्ट अनुशंसाओं की आवश्यकता थी;

ख) टिप्पणी का स्वरूप घटनाओं के कालक्रम पर आधारित था एवं उसमें मामले स्पष्ट तरीके से चिह्नित नहीं थे और उसमें एम ओ पी एन जी का दृष्टिकोण अभिलिखित नहीं था तथा टिप्पणी में सभी लाभों एवं हानियों को ध्यान में रखते हुए विरोधाभासी कानूनी परामर्शों की सूची में उपलब्ध वैकल्पिक समाधानों का वर्णन नहीं था।

9.3 एन टी एस ने मार्च 2008 की अपनी बैठक में इन मामलों पर विचार किया तथा स्पष्ट अनुशंसाएं की जिनमें अन्य के अलावा निम्नलिखित अनुशंसाएं शामिल थीं –

क) मार्च 1996 में लैटर ऑफ इंटेंट के जारी होने के साथ ही अनुबन्ध (पी एस सी) पूर्ण हो गया।
ख) सर्वसम्मति के अभाव का ऐसा कोई मामला नहीं था जिसमें एन टी एस द्वारा और व्याख्या की आवश्यकता हो।
ग) कोई भी वैकल्पिक समाधान नहीं माँगा गया क्योंकि कोई भी विरोधाभासी कानूनी परामर्श नहीं थे।
घ) पी एस सी को मसौदा पी एस सी के अनुसार उपकर एवं रॉयल्टी की पुरानी दरों पर हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए चूँकि अनुबन्ध एक कानूनी रूप से निपटाया गया मामला था।
ड) उपकर एवं रॉयल्टी की पुरानी दरों को पुरानी लागत वसूली सीमा के साथ बढ़ी हुई कीमतों के कारण बिना किसी संशोधन के लागू किया जाना चाहिये।

9.4 एम ओ पी एन जी ने (जून 2008) एन टी एस की अनुशंसाओं को स्वीकार करते हुए सी सी ई ए को नोट प्रस्तुत किया तथा मामलों पर विचार करने एवं उपकर तथा रॉयल्टी की पुरानी दरों पर सी ओ एस बी के साथ हस्ताक्षरित पी एस सी को अनुमोदित करने का निवेदन किया। कैबिनेट सचिवालय ने नोट को एम ओ पी एन जी को लौटा दिया तथा नोट में पाये गये अवांछित विवरणों को हटाने एवं सन्दर्भ की कुछ कमियों में संशोधन/सुधार करने के लिए कहा (जुलाई 2008)।

9.5 लेखापरीक्षा ने पाया कि कैबिनेट सचिवालय द्वारा दी गयी सलाह के अनुसार 9 जुलाई 2008 को सी सी ई ए को भेजे जाने वाले नोट में संशोधन हेतु एक प्रस्ताव पी एन जी मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया। हालाँकि 23 जुलाई 2008 को मंत्री पी एन जी द्वारा यह निर्देशित किया गया कि चूँकि नये सचिव 1 अगस्त 2008 से कार्यभार संभाल रहे हैं इसलिये वह इस मामले को नये सिरे से देखें और फाइल पुनः प्रस्तुत करें। उसके बाद एम ओ पी एन जी में पुनः इस मामले की जाँच की गयी और यह निर्णय लिया गया कि एन टी एस को उपलब्ध विभिन्न विकल्पों की उनके वित्तीय प्रभावों के साथ विस्तृत रूप से समीक्षा करते हुए इस मामले पर पुनः विचार करना चाहिए।

यह एम ओ पी एन जी द्वारा अपने निर्णय को बदलना दर्शाता है जबकिः–

(i) एम ओ पी एन जी के सचिव एन टी एस के अध्यक्ष थे।

(ii) सी सी ई ए के अनुमोदन हेतु नोट को पुनः प्रस्तुत करते हुए एम ओ पी एन जी ने एन टी एस के विचारों से सहमति को जून 2008 में ही सूचित किया था और

(iii) कैबिनेट सचिवालय ने कुछ संशोधनों/सुधारों के लिये (जुलाई 2008 में) नोट वापस कर दिया था।

9.6 एम ओ पी एन जी ने उत्तर दिया (अगस्त 2015) कि इसके द्वारा इस मामले की पुनः जाँच की गयी तथा यह पाया गया कि एन टी एस ने पहले उपलब्ध विकल्पों का विस्तृत विश्लेषण नहीं किया था एवं पहले की ही अनुशंसाओं को दोहराया था। इस प्रकार कैबिनेट सचिवालय के निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन करने के लिये एनटी एस को विभिन्न उपलब्ध विकल्पों का उनके वित्तीय प्रभावों के साथ विस्तृत विश्लेषण करने के लिये मामले पर पुनर्विचार करना चाहिये। उसके बाद एम ओ पी एन जी ने 21 जुलाई 2009 को हुई बैठक में एन टी एस द्वारा जाँच के लिये चयनित विभिन्न विकल्पों का विवरण दिया। उसके बाद एम ओ पी एन जी ने घटनाओं का कालक्रम वर्णित किया। बताया गया है कि उसने जून 2013 में सम्पन्न हुई एन टी एस की अगली बैठक का वर्णन किया जिसमें कई मामले उठाये गये जिन पर पहले चर्चा की जा चुकी थी। इसके अतिरिक्त एम ओ पी एन जी ने सूचित किया कि दिनांक 2 मई 2014 का एक सी सी ई ए नोट कैबिनेट सचिवालय के पास भेजा गया जोकि आर एवं आर एस क्षेत्रों के लिये पी एस सी को अन्तिम रूप देने से सम्बन्धित था। हालाँकि मई 2014 में सरकार बदल जाने के कारण उस समय सी सी ई ए द्वारा परिचालित नोट पर विचार नहीं किया जा सका।

9.7 एम ओ पी एन जी के उत्तर को इस तथ्य के आधार पर देखा जाना चाहिये कि एन टी एस ने (मार्च 2008 में) स्पष्ट अनुशंसाएं प्रस्तुत की थी जैसा कि कैबिनेट सचिवालय द्वारा वांछित था तथा बाद में इसे (जून 2008 में) एम ओ पी एन जी द्वारा अनुमोदित करके सी सी ई ए को विचारार्थ प्रेषित किया गया था। सी सी ई ए ने कुछ कमियों में सुधार के लिये (जुलाई 2008 में) उस नोट को वापस कर दिया। संशोधित नोट पहली बार 9 जुलाई 2008 को एम ओ पी एन जी द्वारा अनुमोदित किया गया। हालाँकि एम ओ पी एन जी द्वारा अपना निर्णय बदलने के कारण विचार–विमर्श तथा स्पष्टीकरण का प्रारम्भ हुआ जिससे इस मामले में अनावश्यक देरी हुई तथा अभी तक (अगस्त 2015) कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है।

10. vi;Dr lfo/kkvk dk j[k&j[kko u djuk

10.1 ओ एन जी सी ने ₹472.55 करोड़ की लागत पर रत्ना आर–12 क्षेत्र में सुविधायें निर्मित की थी। इन सुविधाओं का उपयोग कम्पनी द्वारा फरवरी 1983 से उत्पादन के लिये किया जा रहा था। कम्पनी ने 1986 में क्षेत्र के लिये खनन पट्टा (एम एल) प्राप्त किया जिसकी वैधता फरवरी 2001 तक थी जब क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिये प्रस्तावित किया गया था, तब ओ एन जी सी ने सितम्बर 1994 में उत्पादन बंद कर दिया। क्षेत्र से ओ एन जी सी के कर लाभों एवं राजस्वों को समायोजित करने के बाद, ₹270.46 करोड़ की शुद्ध पिछली लागत की क्षतिपूर्ति ओ एन जी सी को की जानी थी। क्षतिपूर्ति की इस राशि के निपटान की आवश्यकता को पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों[5] में भी दर्शाया गया है। यद्यपि सी सी ई ए ने (मार्च 1999 में) एम ओ पी एन जी से एम ओ एफ तथा योजना आयोग के साथ विचार–विमर्श के बाद पिछली लागत क्षतिपूर्ति के लिये तर्क प्रस्तुत करने को कहा था लेकिन (मार्च 2015 तक) उस पर निर्णय नहीं लिया जा सका था।

10.2 क्षेत्र (सितम्बर 1994 में) से उत्पादन बंद होने के बाद ओ एन जी सी ने सुविधाओं का रख–रखाव नहीं किया। इस सन्दर्भ में सुविधाओं की विकृति से सम्बन्धित लेखापरीक्षा विश्लेषण इस प्रकार है :–

क) मार्च 2002 में ओ एन जी सी ने एम ओ पी एन जी को सूचित किया कि जी ओ आई तथा सी ओ एस बी के बीच पी एस सी हस्ताक्षरित होने तक जो सुविधाएँ आर एवं आर एस क्षेत्रों में खाली पड़ी हुई हैं उनकी समय–समय पर रख–रखाव की आवश्यकता पड़ेगी और इसलिये उसने (अप्रैल 2002 में) रख–रखाव पर व्यय की प्रतिपूर्ति का निवेदन किया। ओ एन जी सी के एक निरीक्षण दल ने (मई 2002 में) सुविधाओं में गंभीर विकृति पाई जिनमें, जंग लगी हुई उपयोगी वस्तुएँ तथा पाइपलाइन शामिल थी। उचित सुरक्षा व्यवस्था के अभाव में प्लेटफार्म की उपयोगी वस्तुओं एवं उपकरणों की लूटमार भी पायी गयी।

ख) ओ एन जी सी कर्मचारियों के साथ सी ओ एस बी के एक दल ने (2007 में) सुविधाओं का दौरा किया और यह पाया कि आर–12 क्षेत्र के प्लेटफार्म तथा उपकरण की ऊपरी संरचना एवं पाइपों में बुरी तरह से जंग लगी हुई थी।

ग) तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओ आई एस डी) ने (फरवरी 2010 में) पाया कि (i) प्लेटफार्म तथा सम्बद्ध सुविधायें, खराब अवस्था में थी– व्यापक संक्षारण, जंग लगी हुई सुविधायें तथा पाइपें, अक्रियाशील एक्स–मस वाल्व, लापता पाइपें/उपकरण आदि, (ii) यदि इन सुविधाओं का उपयोग करना है तो इसके लिये बड़े पैमाने पर मरम्मत हेतु विस्तृत जाँच की आवश्यकता पड़ेगी।

घ) ओ एन जी सी ने डी जी एच को सूचित किया (अगस्त 2010) कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आर एवं आर एस क्षेत्रों के लिये बोली लगायी जा चुकी थी, उसने क्षेत्र संचालन को रोक दिया तथा तदनुसार 1994/1995 से कोई भी संचालन तथा रख–रखाव गतिविधि नहीं की गयी। यद्यपि ओ एन जी सी ने (अगस्त 2010 में) मरम्मत के लिये अनुमानित व्यय की गणना की थी, लेकिन वास्तविक मरम्मत के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई।

---

[5] संघ सरकार–वाणिज्यिक (पैरा 2.15 से 2.20 तक के 1996 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या–5 तथा बाद में, संघ सरकार वाणिज्यिक की (पैरा 3.3.3(i)2005 के प्रतिवेदन संख्या–6

10.3 ओ एन जी सी ने अगले 20 वर्षो के लिये एम एल हेतु आवेदन किया (दिसम्बर 2002) जो कि एम. ओ पी एन जी द्वारा अभी (मार्च 2015) तक प्रदान नहीं किया गया था।

10.4 लेखापरीक्षा ने पाया कि ओ एन जी सी द्वारा मरम्मत एवं रख–रखाव गतिविधियों को न करने का एक बड़ा कारण ऐसी गतिविधियों के लिये क्षतिपूर्ति के मामले पर कोई निर्णय न लिया जाना था। मामले का वर्णन इस प्रकार है :–

क) ओ एन जी सी ने एम ओ पी एन जी को सूचित (मार्च 2002 में) किया कि जी ओ आई तथा सी. ओ एस बी के बीच पी एस सी हस्ताक्षरित होने तक जो सुविधायें आर एवं आर एस क्षेत्रों में खाली पड़ी हुई हैं, उनकी समय समय पर रख–रखाव की आवश्यकता पड़ेगी और इसलिये उसने (अप्रैल 2002 में) रख–रखाव पर व्यय की प्रतिपूर्ति का निवेदन किया।

ख) ओ एन जी सी ने (अगस्त 2002 तथा अप्रैल 2003 में) एम ओ पी एन जी को सूचित किया कि कुछ सुविधाओं की मरम्मत कराने की आवश्यकता है जो यदि नहीं करायी गयी तो वह सुरक्षा में बाधक बन सकती थी तथा लागत वसूली के माध्यम से मरम्मत की लागत को समायोजित करने का निवेदन किया।

ग) ओ एन जी सी ने (दिसम्बर 2004) एम ओ पी एन जी को सूचित किया कि क्षेत्र का वास्तविक संरक्षक होने के नाते उसने 1993 से 2002 के दौरान क्षेत्र के रख–रखाव पर ₹6.92 करोड़ तथा यू एस डी 3.35 लाख व्यय किये।

घ) ओ एन जी सी ने (अगस्त 2010 में) कहा कि वर्तमान सुविधाओं की मरम्मत की अनुमानित लागत ₹780 करोड़ (लगभग यू एस डी 159.386 मिलियन जमा ₹30.25 करोड़) होगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, सितम्बर 2015 के लिए औसत विनिमय दर पर (1 यू एस डी = ₹66.22), यह लागत बढ़कर ₹1,085.70 करोड़ होगी।

10.5 इस सन्दर्भ में, लेखापरीक्षा ने पाया कि एन.टी.एस. ने (अक्तूबर 2004 में) निर्णय किया कि अनुबन्ध की तारीख तथा पी एस सी की प्रभावी तारीख के बीच व्यय की गयी रख–रखाव लागत की ओ एन जी सी को प्रतिपूर्ति की जायेगी। सी ओ एस बी सुविधाओं की रख–रखाव लागत की प्रतिपूर्ति करने को भी (जनवरी 2006 में) सहमत हो गया। इसके अतिरिक्त, वास्तविक रूप से अनुबन्ध के मामले में भी क्षेत्र में ओ एन जी सी का 40 प्रतिशत हिस्सा बना रहेगा तथा परिसम्पत्ति के उचित रख–रखाव में उसकी स्वयं की इच्छा थी।

10.6 इस प्रकार, पीएससी पर निर्णय न लिये जाने के कारण विद्यमान अप्रयुक्त सुविधायें समय के साथ खराब होती गयीं। सुविधाओं का रख–रखाव न किये जाने के कारण क्षेत्र के विकास पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा जिसे टाला जा सकता था। यह अस्पष्ट था कि क्या इस अतिरिक्त वित्तीय भार की वसूली की जायेगी जिस परिस्थिति में वह सरकार के साथ–साथ ओएनजीसी के हिस्से को कम कर देगा।

10.7 लेखापरीक्षा द्वारा जारी टिप्पणी के उत्तर में, ओ एन जी सी ने (मार्च 2014 में) कहा कि:

क) ओ एन जी सी ने दिसम्बर 2002 में एम एल के लिये आवेदन किया था किन्तु जी ओ आई ने इस पर विचार नहीं किया। इसलिये प्रस्थापनों के रख–रखाव की जिम्मेदारी ओ एन जी सी की नहीं थी, क्योंकि क्षेत्र/सुविधायें ओ एन जी सी की सम्पत्ति नहीं रह गयी थी, वे केवल संयुक्त उपक्रम

को अनुबन्ध दिये जाने के बाद उसके पास रखी थी। आगे ओ एन जी सी ने कहा कि हालाँकि वह 2002–2004 तथा एन टी एस की बैठकों के दौरान विभिन्न संचार माध्यमों से सुविधाओं की मरम्मत/रख–रखाव का मामला नियमित रूप से दर्शाता रहा है लेकिन इस सम्बन्ध में किसी भी निर्णय की सूचना ओ एन जी सी को नहीं दी गई।

ख) चूँकि न तो पिछली लागत प्रतिपूर्ति (खोजे गये क्षेत्रों के सम्बन्ध में) पर और न ही आर एवं आर एस क्षेत्रों के लिये पी एस सी को करने पर कोई निर्णय लिया गया था तथा निरीक्षण/रख–रखाव पर पहले से ही किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति न किये जाने के कारण, आर एवं आर एस क्षेत्रों पर और व्यय करना ओ एन जी सी के लिये विवेकपूर्ण नहीं था।

ग) आर–12 अपने निकटतम तेल कॉम्प्लेक्स जिसका नाम हीरा कॉम्प्लेक्स है, से लगभग 40 कि.मी. दक्षिण में स्थित है। अपतट क्षेत्रों की निगरानी तट रक्षकों, 'अपतट रक्षा सलाह समूह (भारत)' (ओ डी ए जी) आदि द्वारा की जा रही थी तथा तब भी कार्यशील प्रस्थापनों के लिये अप्राधिकृत दृष्टिकोण के मामलों को सूचित किया गया जिन पर ओ एन जी सी का कोई अधिकार नहीं था।

10.8 ओ एन जी सी के उत्तर को इन तथ्यों के आधार पर देखे जाने की आवश्यकता है कि यद्यपि ओ एन जी सी ने कहा था कि आर एवं आर एस क्षेत्र तथा सुविधायें अब उसकी सम्पत्ति नहीं रह गई थी फिर भी वार्षिक लेखों में इसने दर्शाया कि वह इसका स्वामी है तथा लेखों में परित्यक्त देयताओं का प्रावधान किया। इस प्रकार, यह उत्तर ओ एन जी सी के वित्तीय विवरण के विपरीत था।

इसके अतिरिक्त एम ओ पी एन जी ने (अगस्त 2002 तथा अक्तूबर 2004 में) ओ एन जी सी को सुविधाओं का रख–रखाव करने का निर्देश दिया तथा (अक्तूबर 2004 में) एन टी एस ने निर्णय किया कि अनुबन्ध प्रदान करने तथा पी एस सी की प्रभावी तारीख के बीच रख–रखाव पर व्यय की गयी लागत की प्रतिपूर्ति ओ एन जी सी को कर दी जाएगी। इन निर्देशों/निर्णयों के बाद भी ओ एन जी सी ने सुविधाओं का रख–रखाव नहीं किया जिससे उनकी स्थिति खराब हो गई। सी ओ एस बी (जनवरी 2006 में) सुविधाओं के रख–रखाव की लागत की प्रतिपूर्ति करने पर भी सहमत हो गया। इस स्वीकृति के बाद भी ओ एन जी सी ने इन सुविधाओं का रख–रखाव नहीं किया आगे, जैसेकि एक विवेकपूर्ण कदम के रूप में ओ एन जी सी ने क्षेत्र के 40 प्रतिशत भाग को अपने नियंत्रण में रखना जारी रखा। अतः उसे इन सम्पत्तियों का रख–रखाव करना चाहिए था जिससे मरम्मत की लागत के भार में कमी आती। इसके अतिरिक्त सुविधाओं के रख–रखाव को पिछली लागत की प्रतिपूर्ति न किये जाने से जोड़ना तर्कसंगत नहीं था क्योंकि पिछली लागत की प्रतिपूर्ति की विधि पर निर्णय एम ओ पी एन जी द्वारा एम ओ एफ तथा योजना आयोग से विचार विमर्श के बाद लिया जाना था।

10.9 इस प्रकार एम ओ पी एन जी/एन टी एस के निर्देशों के बावजूद आर एण्ड आर एस क्षेत्रों में ओ एन जी सी के द्वारा सुविधाओं का रख–रखाव न कर पाना तर्कसंगत नहीं था तथा जिसके कारण सम्पतियों की स्थिति खराब हो गई जिस पर परिहार्य मरम्मत लागत आयी।

10.10 एम ओ पी एन जी ने अपने उत्तर में कहा (अगस्त 2015) कि ओ एन जी सी को पिछली लागत की प्रतिपूर्ति करने का मामला क्षेत्र को संचालित तथा भण्डारों का मुद्रीकरण करने के लिए दूसरा महत्त्वपूर्ण मामला है। एन आई ओ के छपने से पिछले 21 वर्षो में इन क्षेत्रों के रख रखाव एवं सुरक्षा पर ओ एन जी

सी द्वारा किये गये व्यय को शामिल करते हुए ओ एन जी सी को पिछली लागत की प्रतिपूर्ति के मामले में कई सम्भव विकल्पों के आधार पर विचार की आवश्यकता होगी। इसने आगे कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया मामला क्षेत्र में अप्रयुक्त सुविधाओं का रख–रखाव न किए जाने से सम्बन्धित एक आवश्यक मामला है।

10.11 एम ओ पी एन जी के उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि ओ एन जी सी को पिछली लागत की प्रतिपूर्ति के मामलों के समाधान जिस पर अत्यधिक देरी की जा चुकी थी, के लिए एम ओ पी एन जी स्वयं जिम्मेदार था। पिछले दो दशकों से ओ एन जी सी द्वारा प्रस्थापनों का रख–रखाव न किये जाने के कारण उनकी स्थिति खराब हो चुकी थी तथा उनकी मरम्मत पर लगभग ₹1085.70 करोड़ की लागत आई जो परिहार्य थी।

11. fu.k; yu e njh dk iHkko

आर एवं आर एस क्षेत्रों में से एक क्षेत्र (अर्थात आर–12) उत्पादनशील था। देश में कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस की माँग एवं उपलब्धता के बीच बढ़ते घाटे के परिप्रेक्ष्य में तेल एवं गैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तथा प्रतिकूल तेल क्षेत्र में निजी व्यवसायियों से पूँजी निवेश को आकर्षित करने के लिए जी ओ आई ने भारत में आर एवं आर एस क्षेत्रों को शामिल करते हुए आठ मध्यम आकार के क्षेत्रों तथा 33 लघु आकार के खोजे गये तेल एवं गैस क्षेत्रों के विकास के लिए प्रस्ताव आमंत्रण सूचना (एन आई ओ) जारी की। ऐसे प्रस्ताव के जारी होने के बाद ओ एन जी सी ने सितम्बर 1994 से आर–12 क्षेत्र से उत्पादन बन्द कर दिया। आर एवं आर एस क्षेत्रों में अनुमानित हाइड्रोकार्बन के प्राथमिक विद्यमान भण्डार के रूप में 57.60 एम एम टी कच्चा तेल था। बोली लगाते समय अनुमानित भण्डार में अन्वेषण तथा उत्पादन गतिविधियों के द्वारा अधिक मात्रा में वृद्धि होने की अपेक्षा की गई थी। इसके अतिरिक्त सी ओ एस बी द्वारा प्रस्तावित विकास योजना के अनुसार 22 वर्षों की अवधि में आर एवं आर एस क्षेत्रों से 90.39 मिलियन बैरल (एम एम बी बी एल एस) कच्चे तेल तथा 1285 मिलियन मीट्रिक स्टैण्डर्ड क्यूबिक मीटर (एम एम एस सी एम) प्राकृतिक गैस के उत्पादन की अपेक्षा थी। क्षेत्रों को प्रदान करने में की गई अत्यधिक देरी के कारण ऐसे उत्पादन को स्थगित करना पड़ा।

12. foÙkh; iHkko

भारत कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस का निवल आयातक है। किसी भी मात्रा में कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन का सीधा प्रभाव इन संसाधनों के समतुल्य आयात में कमी पर होगा। तदनुसार, आर एवं आर एस क्षेत्रों से उत्पादन रोकने तथा जी ओ आई द्वारा इसकी निश्चयात्मकता के सम्बंध में निर्णय न लेने के कारण रत्ना आर शृंखला क्षेत्रों से कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस का घरेलू उत्पादन स्थगित हुआ तथा जिसके फलस्वरूप परिहार्य आयात करना पड़ा। इसके अलावा, जी ओ आई को उपकर, रॉयल्टी तथा पैट्रोलियम लाभ के भाग से होने वाली आय की प्राप्ति नहीं हुई तथा स्थगित रही।

लेखापरीक्षा ने उस परिस्थिति में यह पता लगाने का प्रयास किया जिसमें उस समय जो व्यावसायिक उत्पादन आर एंड आर एस क्षेत्रों की आर– 12 क्षेत्र से हो रहा था अगर वह अक्तूबर 1994 से हो रहा होता, जैसा कि ओ एन जी सी पहले भी संचालित कर रही थी, तो इसका क्या वित्तीय प्रभाव पड़ता। तथापि, 1994 से ओ एन जी सी द्वारा इन क्षेत्रों से होने वाले तेल व गैस के अनुमानित उत्पादन की मात्रा

की व्यावसायिक योजना/विवरण एम ओ पी एन जी प्रदान नहीं कर सकी जिसके चलते इसके वित्तीय प्रभावों की गणना नहीं हो सकी।

आवश्यक विवरणों के अभाव में लेखापरीक्षा ने वित्तीय प्रभावों का सांकेतिक आधार पर पता लगाने का प्रयास यह मानते हुए किया कि (क) नौ अन्य लघु आकार के क्षेत्रों सहित आर एवं आर एस मध्यम आकार क्षेत्रों के लिए पी एस सी को 2001 में अन्तिम रूप दिया जा सका और (ख) अक्तूबर 2005 से चार वर्ष आठ महीने (नौ में से आठ क्षेत्रों ने उत्पादन शुरू कर दिया तथा लघु आकार क्षेत्रों में उत्पादन शुरू करने के लिए लिया गया अधिकतम समय चार वर्ष आठ महीने था) में उत्पादन शुरू हो गया होता। इस परिदृश्य में सी ओ एस बी द्वारा जीओआई को प्रस्तुत की गयी प्रस्तावित विकास योजना के अनुसार आर एवं आर एस क्षेत्रों से अक्टूबर 2005 से मार्च 2015 तक 56 एम बी बी एल एस कच्चा तेल और 920 एम एम एस सी एम प्राकृतिक गैस उत्पादन किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों (रत्ना एवं आर श्रृंखला) को किसी भी दल को उत्पादन अधिकार दिए बिना निष्क्रिय पड़े रहने से अक्तूबर 2005 से मार्च 2015 तक क्षेत्रों से कच्चे तेल व प्राकृतिक गैस जिसका मूल्य क्रमशः कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस पर यू एस डी 5135 मिलियन (समतुल्य ₹25650 करोड़) तथा यू एस डी 110 मिलियन (समतुल्य ₹550 करोड़) के घरेलू उत्पादन के स्थगित किया गया जी ओ आई की आय कच्चे तेल के सम्बन्ध में रॉयल्टी एवं उपकर के रूप में जिसका मूल्य ₹1050 करोड़ तथा प्राकृतिक गैस के सम्बन्ध में रॉयल्टी के रूप में ₹55 करोड़ भी स्थागित रहे तथा अभी तक प्राप्त नहीं किए गए (अगस्त 2015)। लेखापरीक्षा द्वारा वित्तीय प्रभावों की गणना हेतु लिये गये अनुमान vu|y%ud&I में दिये गये है तथा विस्तृत गणना vu|y%ud&II में दी गई है।

उपरोक्त के अतिरिक्त देरी की वजह से सितम्बर 1994 से रत्ना आर–12 क्षेत्र पर मौजूदा सुविधाएँ अप्रयुक्त रही जिससे इनका रख–रखाव भी नहीं हो पाया इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र के पुनः उत्थान पर ₹1085.70 करोड़[6] भार पड़ा जिसे टाला जा सकता था।

एम ओ पी एन जी ने अपने उत्तर (अगस्त 2015) में कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा की गई गणना सिर्फ काल्पनिक है क्योंकि इन क्षेत्रों से कोई भी कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस उत्पादित नहीं की गई है तथा इन क्षेत्रों के हाइड्रोकार्बन भण्डार अभी भी अपने स्थान पर होंगे। एम ओ पी एन जी ने आगे कहा कि इन क्षेत्रों के हाइड्रोकार्बन भण्डार अनुमानित होने के कारण वित्तीय हिस्से के लिए ये आँकड़े केवल सांकेतिक हैं। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शायी गई हाइड्रोकार्बन की मात्रा अभी भी इन क्षेत्रों में पुनः प्राप्त करने योग्य भण्डार के रूप में मौजूद होगी।

एम ओ पी एन जी के जवाब को इन तथ्यों की रोशनी में देखा जाना चाहिए कि भारत हाइड्रोकार्बन संसाधनों के लिए आयात पर निर्भर रहने वाला देश है तथा यह कि उत्पादन क्षेत्र को निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए बंद किया जा चुका था। उसके बाद एम ओ पी एन जी/जी ओ आई द्वारा 20 वर्षों से अधिक समय तक निर्णय न लेने के परिणामस्वरूप आर एवं आर एस क्षेत्रों से कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन से लाभ का स्थगन हुआ। वित्तीय परिणामों की गणना वित्तीय लाभों में हुए स्थगन की महत्ता के उपर बल देने हेतु की गई।

---

[6] सितम्बर 2015 की विनिमय दर के साथ 2010 मूल्यों पर विद्यमान आधारभूत संरचना की मरम्मत के लिए ओ एन जी सी की अनुमानित लागत।

13. fu"d"k

निजी क्षेत्रों की भागीदारी का निर्णय के समय (1993) आर और आर एस क्षेत्र उत्पादन करने वाले क्षेत्र थे। तदनुसार, 1996 में क्षेत्रों को सी ओ एस बी को प्रदान किया गया तथा क्षेत्रों के लिए पी एस सी को अंतिम रूप देने के लिए 1999 में सी सी ई ए की विशेष तौर पर स्वीकृति ली गयी थी। सी सी ई ए ने निर्णय किया (मार्च 1999) कि पी एस सी पर स्वीकृति के छह माह के भीतर वार्ता करके इसे अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। फिर भी, नीति निर्णय के 23 वर्ष, कार्य प्रदान करने के 19 वर्ष तथा सी सी ई ए की स्वीकृति के 16 वर्ष के बाद भी मामले अनसुलझे ही रह गए। यह स्पष्ट रूप से एम ओ पी एन जी के मामले के अंतिम निर्णय तक पहुँचने के तरीके में गंभीरता की कमी को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। आगे ओ एन जी सी ने भी एम ओ पी एन जी को लिखा (मार्च 2002) और प्रस्तावित किया कि इन क्षेत्रों को पूर्ववर्तियो को हस्तांतरित कर दिया जाए। तथापि, एन टी एस में विगत 16 वर्षो के विचार–विमर्श तथा एम ओ पी एन जी द्वारा मामले को आगे बढ़ाने के बाद भी इन मामलों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर तय स्थिति में निरंतर बदलाव किये गये थे। इस तथ्य को देखते हुए कि, आर एवं आर एस क्षेत्र अन्वेषित क्षेत्र थे तथा एक क्षेत्र (आर–12) में सिंतबर 1994 तक उत्पादन जारी था, क्षेत्रों का आबंटन किए जाने तथा पी एस सी हस्ताक्षरित किये जाने पर निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि पहले से ही विकसित एवं उत्पादन करने वाला एक क्षेत्र 20 वर्षों से अधिक समय तक बंद पड़ा रहा, तथा इसे किसी भी स्तर पर निर्णय लेने में यथोचित महत्व एवं प्राथमिकता नहीं दी गयी। यह अपस्ट्रीम तेल क्षेत्र के और अधिक विकास हेतु निजी पूँजी निवेश को आकर्षित करने के लिए 1991 की जी ओ आई की नीति के उद्देश्यों के विरूद्ध था।

उत्तर में (अगस्त 2015) एम ओ पी एन जी ने लेखापरीक्षा के इस विचार को स्वीकार किया कि आर एवं आर सीरीज क्षेत्रों को जी ओ आई की 1991 की नीति के उद्देश्यों के अनुसार साधित नहीं किया जा सका। एम ओ पी एम जी ने आगे कहा कि आर एवं आर एस के लिए पी एस सी के 12 में से एक मामले में एम ओ पी एन जी के नियंत्रण से परे अनेक कारणों/परिस्थितियों की वजह से विगत दो दशकों के दौरान हस्ताक्षरित नहीं किया जा सका तथा इससे यह आरोपित नहीं होता कि एम ओ पी एन जी के दृष्टिकोण में गंभीरता की कमी थी जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा निष्कर्ष निकाला गया।

एम ओ पी एन जी का उत्तर तथ्य पर आधारित नहीं था, जैसा कि उपर्युक्त पैरा में विस्तृत रूप से दिया गया। एम ओ पी एन जी इस मामले में आर एवं आर एस क्षेत्र पर अंतिम रूप से निर्णय लेने वाला नोडल मंत्रालय था। सी सी ई ए की 1999 की स्वीकृति ने निर्णय लेने संबंधी सभी प्रमुख पहलुओं को स्पष्ट कर दिया तथा स्पष्ट रूप से मामले को निपटाने का आदेश दिया। एन टी एस में भी सभी हिस्सेदार मंत्रालयों की सहभागिता थी। तथापि, मामले के विभिन्न पहलुओं को बार–बार स्पष्टीकरण, पुनर्स्पष्टीकरण तथा अनुशंसा के लिए उन्हीं मंत्रालयों के अन्दर ही निर्दिष्ट किया गया। मामले को अंतिम रूप देने में उठाये गये कदम स्पष्ट नहीं थे और जब कि सभी हिस्सेदार मंत्रालयों के स्पष्ट दृष्टिकोण को मुहैया कराया गया था। इस मामले को दिए गए महत्त्व के स्तर का आगे इस तथ्य द्वारा पता चलता है कि नवम्बर 2011 से अगस्त 2015 तक एन टी एस की सिर्फ एक बैठक हुई।

किसी भी दल को उत्पादन अधिकार सौंपे बिना अन्वेषित हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों को स्थगित रखने से क्षेत्र से यू एस डी 5245 मिलियन (₹26200 करोड़ के समतुल्य) की राशि का अक्टूबर 2005 से मार्च 2015 तक कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस का स्वदेशी उत्पादन स्थगित रहा। कच्चे तेल पर रॉयल्टी एवं उपकर तथा प्राकृतिक

गैस पर रॉयल्टी के रूप में ₹1105 करोड़ की राशि की जी ओ आई को प्राप्ती कथित अवधि (अगस्त 2015) हेतु स्थगित रही। उपरोक्त के अलावा देरी के कारण सिंतबर 1994 से रत्ना आर–12 क्षेत्र पर विद्यमान सुविधाएँ अप्रयुक्त रही एवं उनका रख–रखाव नहीं हुआ जिसके कारण क्षेत्र के पुनर्विकास पर ₹1086 करोड़ का परिहार्य वित्तीय भार पड़ेगा।

जी ओ आई का निर्णय न लेना सीधा ऊर्जा सुरक्षा के राष्ट्रीय हित के विरूद्व था क्योंकि इससे तेल तथा गैस का पर्याप्त मूल्य का स्वदेशी उत्पादन विलंबित रहा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह एक उत्पादन क्षेत्र था यह अत्यावश्यक है कि सरकार इस मामले में शीघ्र कोई निर्णय ले जिससे कि इस दीर्घ अवधि से लंबित समस्या का समाधान हो सके तथा आगे बिना देरी किये क्षेत्रों को फिर से उत्पादन में लगाया जा सके।

frfFk % **13 नवम्बर 2015**
LFkku % ubZ fnYyh

¼vkuUn eksgu ctkt½
egkfuns'kd ys[kkijh{kk
¼vkfFkZd ,oa lsok ea=ky;½

ifrgLrk{kfjr

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 13 नवम्बर 2015

¼'kf'k dkUr 'kekZ½
Hkkjr ds fu;U=d ,oa egkys[kkijh{kd